International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628
Received: 10-04-2026, Accepted: 11-05-2026, Published: 26-05-2026
Volume 8, Issue 2, 2026, Page No. 127-131

भारत में जनसंख्या, प्रवास और सतत विकासः चुनौतियाँ और संभावनाएँ

डॉ0 प्रभात सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, के0 बी0 पी0 जी कालेज, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
1.4 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों से गुज़र रहा है। देश की जनसंख्या गतिशीलता और आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरुप, इसके विकास पथ के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। यह शोधपत्र इस बात का अध्ययन करता है कि जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और शहरीकरण भारत में सतत विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। यह क्षेत्रीय असमानताओं, शहरी तनाव, जलवायु परिवर्तन और अनौपचारिक श्रम बाजारों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रवासी जुड़ाव और समावेशी नीति ढाँचों के अवसरों की खोज करता है। यह शोधपत्र जनसांख्यिकीय प्रबंधन और प्रवासन शासन को भारत के सतत विकास लक्ष्यों के साथ पंक्तिबद्ध करने की अनुशंसा करने का प्रयास करता है।

मूल शब्दः जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास

प्रस्तावना
भारत का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से समावेशी राष्ट्र बनने का सफ़र इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन स्वरुप और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का प्रबंधन कैसे करता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत को अपनी विशाल मानव पूंजी का लाभ उठाते हुए युवा बेरोज़गारी, क्षेत्रीय असमानताओं, शहरी भीड़भाड़ और पर्यावरणीय क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना होगा। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवासन, श्रम के पुनर्वितरण, गरीबी कम करने और आर्थिक परिवर्तन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शोधपत्र इस बात का अध्ययन करता है कि जनसंख्या गतिशीलता और प्रवासन भारत के व्यापक विकास एजेंडे के साथ कैसे जुड़ते हैं।

भारत में जनसंख्या रुझान
भारत की जनसंख्या गतिशीलता एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुज़र रही है। जैसे–जैसे यह देश विश्व स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बनता जा रहा है। 2023 तक 1.4 अरब से अधिक लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा।इसके जनसांख्यिकीय पैटर्न लगातार जटिल होते जा रहे हैं। सतत विकास, शासन, श्रम बाज़ार, शहरीकरण और सामाजिक सेवाओं की योजना बनाने के लिए इन रुझानों को समझना महत्वपूर्ण है।

जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन
भारत की जनसंख्या 2047 तक लगभग 1.6 अरब पर स्थिर होने का अनुमान है। देश जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण में है, जहाँ प्रजनन दर लगभग प्रतिस्थापन स्तर (2023 तक प्रति महिला 2.0 बच्चे) तक गिर रही है।

प्रजनन असमानताएँः दक्षिणी राज्यों (जैसे, केरल, तमिलनाडु) में उत्तरी राज्यों (जैसे, बिहार, उत्तर प्रदेश) की तुलना में प्रजनन दर कम है।

वृद्ध जनसंख्याः केरल जैसे राज्यों में वृद्धावस्था संबंधी चुनौतियाँ आने लगी हैं, जबकि अन्य राज्यों में अभी भी युवा जनसंख्या है।

जनसांख्यिकीय लाभांश
भारत की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 90 करोड़ से अधिक है, जो 2040–2050 तक अवसरों की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक हैः

कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक मज़बूत, आत्मनिर्भर और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक स्तंभ हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्तियों को आधारभूत ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और मूल्यों से सुसज्जित करती है, जबकि कौशल विकास आधुनिक कार्यबल में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक क्षमताएँ प्रदान करता है। ये सभी मिलकर रोज़गार क्षमता को बढ़ाते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और सभी पृष्ठभूमि के लोगों को सशक्त बनाकर असमानता को कम करते हैं। भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलों का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवा न केवल शिक्षित हों, बल्कि नौकरी के लिए भी तैयार हों। सतत विकास और भारत की विशाल मानवीय क्षमता को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए दोनों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का विस्तारः आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोज़गार सृजित करना आवश्यक है। औपचारिक रोज़गार श्रमिकों को कानूनी अधिकार, रोज़गार सुरक्षा, नियमित वेतन और स्वास्थ्य बीमा व पेंशन जैसे लाभों तक पहुँच प्रदान करता है। भारत में, जहाँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में है, औपचारिक रोज़गार के अवसरों का विस्तार गरीबी और असमानता को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए नीतिगत समर्थन, श्रम कानून में सुधार, औद्योगिक विकास और शिक्षा को बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है ताकि स्थायी रोज़गार के रास्ते बनाए जा सकें।

स्वास्थ्य सेवा और पोषण निवेशः स्वास्थ्य सेवा और पोषण में निवेश एक स्वस्थ, उत्पादक और लचीली आबादी के निर्माण के लिए आवश्यक है। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचा, निवारक

और उपचारात्मक सेवाओं तक पहुँच, और लक्षित पोषण कार्यक्रम, रोगों के बोझ, बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकते हैं। भारत में, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य शिक्षा और श्रम उत्पादकता में प्रमुख बाधाएँ बने हुए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना और संतुलित पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महिला श्रम शक्ति की भागीदारीः महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़ाना समावेशी आर्थिक विकास और लैंगिक समानता प्राप्त करने की कुंजी है। शैक्षिक प्रगति के बावजूद, भारत में कई महिलाएँ सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा की कमी, बच्चों की देखभाल के सीमित विकल्पों और कौशल असंतुलन के कारण कार्यबल से बाहर रहती हैं। लचीली कार्य व्यवस्थाओं, सुरक्षित कार्यस्थलों, कौशल विकास कार्यक्रमों और मातृत्व लाभ जैसी सहायक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के रोज़गार को प्रोत्साहित करके उनकी क्षमता का दोहन किया जा सकता है और समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने से न केवल घरेलू कल्याण में सुधार होता है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति में भी तेज़ी आती है।

भारत में प्रवासन पैटर्न

भारत में प्रवासन एक जटिल और बहुआयामी परिघटना है जो देश के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें रोज़गार, शिक्षा, विवाह और जलवायु संबंधी तनाव जैसे कारणों से देश के भीतर (आंतरिक प्रवासन) और देश के बाहर (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन) लोगों का आवागमन शामिल है।

भारत में प्रवासी आंदोलनों में आंतरिक प्रवासन का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आंतरिक प्रवासी थे, जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 37ः था। देश के भीतर प्रवासन मुख्य रूप से आर्थिक कारकों से प्रेरित है, जिसमें लाखों लोग बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य प्रवासियों के प्रमुख स्रोत हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्य प्रमुख गंतव्य हैं। अधिकांश आंतरिक प्रवासी निर्माण, घरेलू काम, विनिर्माण और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहाँ अक्सर उन्हें नौकरी की सुरक्षा या बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं होती है।

मौसमी और चक्रीय प्रवास का भी एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ व्यक्ति या परिवार विशिष्ट मौसमों के दौरान अस्थायी रूप से शहरों या कृषि क्षेत्रों में चले जाते हैं और बाद में घर लौट आते हैं। इस प्रकार का प्रवास आर्थिक रूप से कमज़ोर आबादी और आदिवासी समुदायों में विशेष रूप से प्रचलित है। महिला प्रवासी ज़्यादातर विवाह के कारण प्रवास करती हैं, लेकिन वे कार्यबल में, विशेष रूप से शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में, तेज़ी से भाग ले रही हैं।

भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जहाँ 18 मिलियन से अधिक भारतीय विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। भारतीय प्रवासी धन प्रेषण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो 2022 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बन गया। जहाँ खाड़ी देशों में प्रवास में अर्ध–कुशल और निम्न–कुशल श्रमिकों का प्रभुत्व है, वहीं पश्चिमी देशों में प्रवास का नेतृत्व उच्च–कुशल पेशेवरों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से आईटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों में।

हालाँकि, भारत में प्रवासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें खराब जीवन–स्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कानूनी बहिष्कार और प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुँच शामिल हैं। कोविड–19 महामारी जैसी घटनाओं ने प्रवासी श्रमिकों की कमज़ोरियों को उजागर किया है, जिससे बेहतर आँकड़ों, समावेशी नीतियों और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत में प्रवासन पैटर्न देश के विकास पथ से गहराई से जुड़े हुए हैं। नीतिगत सुधारों, अधिकारों की सुवाह्यता और बेहतर श्रम स्थितियों के माध्यम से सुरक्षित, सम्मानजनक और लाभकारी प्रवासन सुनिश्चित करना समावेशी और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में प्रवासन और सतत विकास

श्रम का पुनर्वितरण, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में योगदान देकर भारत के सतत विकास पथ पर प्रवासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, दोनों ही महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं जिनके लिए समता और स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है।

भारत में आंतरिक प्रवासन मुख्यतः ग्रामीण गरीबी, रोज़गार की कमी और कृषि संकट के कारण होता है, जहाँ लाखों लोग बेहतर आजीविका की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर रुख करते हैं। प्रवासी निर्माण, विनिर्माण, घरेलू काम और अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करके शहरों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालाँकि, उन्हें अक्सर खराब जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच नहीं होती है, जो सतत विकास में पूर्ण योगदान देने की उनकी क्षमता को सीमित कर देता है। अधिकारों की सुवाह्यता को बढ़ाना (उदाहरण के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से) और किफायती आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल प्रशिक्षण का विस्तार प्रवासन को और अधिक समावेशी बना सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, विशेष रूप से खाड़ी और पश्चिमी देशों में, बड़े पैमाने पर धन प्रेषण उत्पन्न करता है जो घरेलू उपभोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है। हालाँकि, शोषण, असुरक्षित प्रवास मार्ग और वापस लौटने वालों के लिए पुनर्एकीकरण सहायता का अभाव जैसे मुद्दे स्थिरता के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं।

प्रवासन कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से सीधे जुड़ा हुआ है, जिनमें एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन), एसडीजी 8 (सभ्य कार्य), और एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) शामिल हैं। भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन के लिए, नीतियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास, शहरी नियोजन में प्रवासियों के एकीकरण और सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों में प्रवासी अधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए।

प्रमुख चुनौतियाँ

शहरीकरण और अनौपचारिक बस्तियाँ

भारत में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों का अनियोजित विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक बस्तियाँ और मलिन बस्तियाँ बढ़ी हैं। लाखों लोग काम की

तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन शहर अक्सर पर्याप्त आवास, स्वच्छता, पानी और परिवहन संबंधी बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। भीड़भाड़, यातायात की भीड़, प्रदूषण और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव असुरक्षित और असह्य जीवन स्थितियों का निर्माण करते हैं। शहरी नियोजन और समावेशी शासन के अभाव में कई प्रवासी परिवार घटिया वातावरण में फँस जाते हैं, जिससे गरीबी और असुरक्षा का चक्र और भी गहरा होता जाता है।

प्रवासी मज़दूरों का शोषण

भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा निर्माण, कृषि, घरेलू काम और विनिर्माण जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी मज़दूरों का है। इन मज़दूरों को अक्सर कम मज़दूरी, लंबे काम के घंटे, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और कानूनी अनुबंधों या लाभों के अभाव के रूप में शोषण का सामना करना पड़ता है। प्रवासियों को आमतौर पर औपचारिक श्रम सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रखा जाता है, जिससे वे दुर्व्यवहार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कोविड–19 महामारी ने इस व्यवस्था की कमज़ोरी को उजागर किया है और श्रम सुधारों और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

सामाजिक बहिष्कार और पहचान संबंधी अंतर

भारत में प्रवासियों को अक्सर अपने निवास स्थान पर दस्तावेज़ों, निवास प्रमाण या मतदाता पंजीकरण के अभाव के कारण सामाजिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहचान संबंधी यह अंतर उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वित्तीय सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच से रोकता है। परिणामस्वरूप, प्रवासी परिवार, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। समतामूलक विकास के लिए पोर्टेबल अधिकारों और समावेशी शासन के माध्यम से इन अंतरों को पाटना आवश्यक है।

जलवायु–प्रेरित प्रवास

जलवायु परिवर्तन भारत में आंतरिक प्रवास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से तटीय ओडिशा, सुंदरबन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों और बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, सूखा और चरम मौसम की घटनाएँ समुदायों को अक्सर बिना किसी औपचारिक समर्थन या योजना के, स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करती हैं। इन विस्थापित आबादी को नए क्षेत्रों में रोजगार, आश्रय और बुनियादी सेवाएँ खोजने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एकीकृत जलवायु अनुकूलन और प्रवासन नीतियों के बिना, ऐसा विस्थापन गरीबी, असुरक्षा और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ा देगा।

ये चुनौतियाँ भारत की सतत और समावेशी विकास हासिल करने की क्षमता के लिए ख़तरा हैं। प्रभावी नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बिना – जैसे कि क्षेत्र–विशिष्ट नियोजन, ग्रामीण विकास में निवेश, बेहतर शहरी प्रशासन, और प्रवासी अधिकारों की सुरक्षा – भारत में सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय तनाव बढ़ने का खतरा है, जिससे दीर्घकालिक विकास लक्ष्य कमजोर हो सकते हैं।

नीतिगत ढाँचे और पहल

भारत ने जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन और सतत विकास की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कई नीतिगत ढाँचे और राष्ट्रीय पहल शुरू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, गतिशीलता बढ़ाना, सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में श्रम सुधार, डिजिटल शासन, कौशल विकास और कल्याणकारी योजनाओं की सुवाह्यता शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य समावेशी विकास और विकास प्रक्रिया में प्रवासियों और वंचित आबादी के बेहतर एकीकरण के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना एक ऐतिहासिक पहल है जो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह खाद्य अधिकारों की सुवाह्यता सुनिश्चित करती है, जिससे काम के लिए राज्यों के बीच आने–जाने वाले लाखों आंतरिक प्रवासियों को लाभ होता है। यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है, स्थानीय दस्तावेज़ीकरण की कमी के कारण बहिष्करण को कम करता है, और यह सुनिश्चित करके सामाजिक समानता को मजबूत करता है कि किसी भी नागरिक को उनके स्थान की परवाह किए बिना आवश्यक खाद्य सहायता से वंचित न किया जाए।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और स्मार्ट सिटीज़

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) और स्मार्ट सिटीज़ मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, डेटा एकीकरण और नागरिक–केंद्रित सेवाओं के माध्यम से शहरी शासन का आधुनिकीकरण करना है। ये कार्यक्रम स्वच्छता, आवास, परिवहन और शिकायत निवारण जैसी सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण करके शहरों को अधिक कुशल, समावेशी और टिकाऊ बनाने में मदद करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ बुनियादी ढाँचे के विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि एनयूडीएम विशेष रूप से शहरी प्रवासियों और वंचित समुदायों के लिए, वास्तविक समय शासन और बेहतर सेवा वितरण के लिए एक डिजिटल आधार तैयार करता है।

श्रम संहिताएँ और सामाजिक सुरक्षा

भारत की नई श्रम संहिताएँ मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रेणियों में समेकित और सरल बनाती हैंरू वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा। इन सुधारों का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना और प्रवासियों सहित अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। ये संहिताएँ स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और शिकायत निवारण तंत्र जैसे लाभों का प्रस्ताव करती हैं। हालाँकि कार्यान्वयन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, ये संहिताएँ श्रम बाजारों को औपचारिक बनाने और कमजोर श्रमिकों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं।

केस स्टडी

केरलः वृद्धावस्था और वापसी प्रवास

केरल एक अनोखा जनसांख्यिकीय परिदृश्य प्रस्तुत करता है जिसकी विशेषता कम प्रजनन क्षमता, उच्च साक्षरता और वृद्ध होती जनसंख्या है। इसके कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा विदेश, विशेष रूप से खाड़ी देशों में प्रवास कर चुका है, इसलिए राज्य अब वृद्धों की देखभाल और वापसी प्रवास से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई वापस लौटने वाले, विशेष रूप से विदेशी नौकरियों से सेवानिवृत्त होने वाले, सीमित स्थानीय रोजगार के अवसरों के कारण अक्सर पुनः एकीकरण के लिए संघर्ष करते हैं। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने

NORKA–रूट्स जैसी पहल शुरू की है, जो वापस लौटने वाले प्रवासियों को पुनः कौशल विकास, वित्तीय सहायता और उद्यमिता विकास के साथ सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य बढ़ती वृद्ध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः एकीकृत करना है।

दिल्ली एनसीआरः प्रवासी–संचालित विकास

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आंतरिक प्रवासियों का एक प्रमुख केंद्र है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। ये प्रवासी निर्माण, खुदरा, स्वच्छता और घरेलू सेवाओं में काम करके शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, अधिकांश लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं जहाँ पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और आवास की सीमित पहुँच है। अपने आर्थिक योगदान के बावजूद, उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार और अनिश्चित जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि शहरी विकास समावेशी हो और किफायती आवास, पोर्टेबल कल्याण योजनाओं और बेहतर शहरी नियोजन के माध्यम से प्रवासियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो।

ओडिशाः जलवायु और प्रवासन संबंध

ओडिशा जलवायु संबंधी आपदाओं, जैसे चक्रवात, बाढ़ और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी तीव्र हो गए हैं। इन पर्यावरणीय तनावों ने कई ग्रामीण और तटीय निवासियों, विशेष रूप से गंजम और केंद्रपाड़ा जैसे जिलों के निवासियों को सुरक्षित रहने की स्थिति और आजीविका की तलाश में अस्थायी या स्थायी रूप से पलायन करने के लिए मजबूर किया है। राज्य सरकार ने आपदा–रोधी बुनियादी ढाँचे और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला पलायन एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बना हुआ है। जलवायु अनुकूलन को प्रवास नीति के साथ एकीकृत करना और संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका के विकल्पों में सुधार करना, जबरन विस्थापन को कम करने और दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

सुझावः

एक राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकसित करें:

भारत को प्रवासियों को अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने और उनके अधिकारों एवं आवश्यकताओं का व्यवस्थित रूप से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय प्रवासन नीति की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी नीति में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवासन को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें डेटा–आधारित नियोजन, सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच, कौशल पहचान और कानूनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसे प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने, शोषण को कम करने और सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और मंत्रालयों के बीच समन्वय भी करना चाहिए। एक सुविचारित नीति प्रवासन को समावेशी और सतत विकास के एक शक्तिशाली साधन में बदल सकती है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास

संकटग्रस्त प्रवास और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, भारत को ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, कृषि और छोटे शहरों में निवेश करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अविकसित राज्यों और जिलों में कनेक्टिविटी, रोज़गार सृजन और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने से महानगरों पर दबाव कम होगा और लोगों को घर के पास ही अवसर मिलेंगे। आर्थिक गलियारों, औद्योगिक समूहों और विकेन्द्रीकृत सेवा केंद्रों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

समावेशी शहरी नियोजन

शहरों में बढ़ती प्रवासी आबादी को समायोजित करने और साथ ही स्थिरता और समानता सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शहरी नियोजन आवश्यक है। शहरी विकास में प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास, बुनियादी सेवाओं (जल, स्वच्छता, परिवहन) और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय सरकारों को शहरी प्रवास के रुझानों पर नज़र रखने और उनका जवाब देने के लिए प्रवासी–संवेदनशील नियोजन ढाँचे और डिजिटल उपकरण अपनाने चाहिए। सहभागी शासन, जहाँ निर्णय लेने में प्रवासियों की आवाज़ को शामिल किया जाता है, लचीले और समावेशी शहरों के निर्माण की कुंजी है।

जलवायु–अनुकूल विकास

जलवायु परिवर्तन विस्थापन का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है, इसलिए भारत को जलवायु–अनुकूल विकास रणनीतियाँ अपनानी चाहिए जो शमन और अनुकूलन दोनों को संबोधित करें। इसमें जलवायु–अनुकूल बुनियादी ढाँचे, टिकाऊ कृषि, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और जलवायु–संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका विविधीकरण में निवेश शामिल है। प्रवासन को जलवायु अनुकूलन योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित, स्वैच्छिक और नियोजित पुनर्वास संभव हो सके। नीतियों में विस्थापित आबादी को गंतव्य क्षेत्रों में आवास, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

भारतीय प्रवासियों का लाभ उठाएँ

भारत का विशाल और विविध प्रवासी समुदाय राष्ट्रीय विकास के लिए एक शक्तिशाली संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार को निवेश के अवसरों, ज्ञान हस्तांतरण, परोपकारी समर्थन और मार्गदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासियों को जोड़ने के लिए मज़बूत तंत्र बनाने चाहिए। भारत को जानिए, प्रवासी बांड और स्टार्ट–अप सहयोग जैसी पहल संबंधों को गहरा कर सकती हैं और शिक्षा, नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में प्रवासी योगदान को बढ़ावा दे सकती हैं। एक सक्रिय प्रवासी जुड़ाव रणनीति भारत के वैश्विक प्रभाव और घरेलू प्रगति को बढ़ा सकती है।

निष्कर्ष

भारत का भविष्य उसकी जनसंख्या गतिशीलता, प्रवासन प्रवृत्तियों और सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी प्रबंधन में निहित है। प्रवासन को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि विकास, समता और लचीलेपन की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। लक्षित नीतियों, सुदृढ़ डेटा प्रणालियों और समावेशी शासन के साथ, भारत प्रवासन और जनसंख्या परिवर्तन को समावेशी, सतत और समृद्ध विकास के अवसरों में बदल सकता है।

संदर्भ

1. भारत की जनगणना (2011)। प्रवासन सारणी।
2. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (2023)। स्मार्ट सिटी मिशन प्रगति रिपोर्ट।
3. विश्व बैंक (2022)। प्रवासन और विकास संक्षिप्त।
4. यूएनडीपी भारत (2022)। मानव विकास रिपोर्ट।
5. नीति आयोग (2020)। 75 वर्ष की आयु में नए भारत के लिए रणनीति।
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2023)। भारत में परिवार कल्याण सांख्यिकी।
7. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (2021)। भारत वेतन रिपोर्ट।
8. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)। भारत में प्रवासन, 2007–08, 2017–18।
9. अतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (2023)। विश्व प्रवासन रिपोर्ट।
10. TERI (2022)। भारत में जलवायु प्रवासन।